संख्या:-9970 /अ०मु०स०आई०टी०/2022

संख्या-46 /2022/77-3-2022 /001-1899-10बजट/2022

Secy (AKS)

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर लखनऊ।

28/12/22
(अरविन्द कुमार)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
अपर मुख्य सचिव
अव०-औद्यो० वि०, आई.टी. एवं इले०
एन०आर०आई० विभाग
उ०प्र० शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 दिसंबर, 2022

326/PS-IID(AK)/23

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना हेतु धनराशि की मांग के संबंध में।

V.S (M)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 2221/यूपीडा/22-23/लेखा दिनांक 18.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु अलीगढ नोड एवं लखनऊ नोड हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 1859.964 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अलीगढ नोड के अन्तर्गत ग्राम अण्डला, तहसील खैर में अधिग्रहीत की गयी भूमि स्थल की सर्वे का कार्य तथा स्थल की सफाई (सी एण्ड जी) का कार्य हेतु धनराशि रू० कमशः 2.15 लाख एवं 32.08 लाख कुल **धनराशि रू0 34.23 लाख** तथा लखनऊ नोड के अन्तर्गत ग्राम भटगांव में अधिग्रहीत की गयी भूमि के सर्वे कार्य हेतु धनराशि रू0 4.17 लाख तथा मोहान रोड (हरोनी मोड़) से भटगांव तक लिंक रोड के चौड़ीकरण में बाधक विद्युत तंत्रों को विस्थापित करने का कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लखनऊ द्वारा प्राक्कलित धनराशि रू0 73.24 लाख, अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम लखनऊ द्वारा प्राक्कलित धनराशि रू० 1307.19 लाख तथा Cleaning Jungle and Bushes of acquired land of Defense corridor project भटगांव में कार्य हेतु धनराशि रू0 46.71 लाख, अलीगढ नोड में प्रकाश व्यवस्था हेतु लैम्प संस्थापित किये जाने हेतु धनराशि रू0 12.63 लाख तथा ग्राम अण्डला, तहसील खैर में वाक्स का कल्वर्ट (2.0मी 2.5 मी०) लम्बाई 255.50 मी० का निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 227.05 लाख कुल **धनराशि रू0 1825.734 लाख** अर्थात कुल धनराशि रू0 18,59,96,400/- (34.23+1825.734 लाख) की (रूपये अठारह करोड़ उन्सठ लाख छियानबे हजार चार सौ) वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

02-1-2023
(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

301/VS2D(N)/23
DS(M)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में रखा जायेगा।

(2) उक्तधनराशि का उपयोग केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्योका क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

विशेष सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
उ०प्र० शासन

SO-3
03.01.22
03-1-23

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार कियाजायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग.1 के शासनादेश सं0.13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 मे द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति/डुप्लीकेसी को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यूपीडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।

(8) उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 1976 के संबंधित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,59,96,400 (रुपये अठारह करोड़ उनसठ लाख छियानबे हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार कें अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,

संख्या-46/2022/77-3-2022/001-1899, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/अलीगढ़।

4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।

6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

8.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।

9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,